



सिडबी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थापित)
प्रधान कार्यालय : सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़)

विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
	समीक्षित	लेखा परीक्षित	समीक्षित	लेखा परीक्षित
1. अर्जित ब्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ)	6,504	5,703	3,045	17,954
(क) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	5,801	5,057	2,488	15,173
(ख) निवेशों पर आय	345	286	166	975
(ग) भा.रि.बैंक में अतिशेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	358	360	391	1,806
(घ) अन्य	-	-	-	-
2. अन्य आय	96	120	68	531
3. कुल आय (1+2)	6,600	5,823	3,113	18,485
4. ब्याज व्यय	4,761	4,084	1,911	12,406
5. परिचालन व्यय (i)+(ii)	718	301	170	824
(i) कर्मचारी लागत	147	180	114	507
(ii) अन्य परिचालन व्यय	571@	121	56	317
6. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय को छोड़कर कुल व्यय (4+5)	5,479	4,385	2,081	13,229
7. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय से पूर्व परिचालन लाभ (3-6)	1,121	1,438	1,032	5,256
8. प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय (पुनरांकन पश्चात् निवल)	62	397	(4)	858
9. असाधारण मदें	-	-	-	-
10. सामान्य गतिविधियों से कर पूर्व लाभ (+) / हानि (-) (7-8+9)	1,059	1,041	1,036	4,398
11. कर संबंधी व्यय (डीटीए / डीटीएल के पश्चात् निवल) (10-11)	267	226	260	1,054
12. सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात् निवल लाभ(+) / हानि(-) (10-11)	792	815	776	3,344
13. असाधारण मदें (कर व्यय घटाकर)	-	-	-	-
14. अवधि का निवल लाभ (+) / हानि (-) (12-13)	792	815	776	3,344
15. चुकता ईक्रीटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर)	569	569	569	569
16. आरक्षितियाँ पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर	27,727	26,935	24,492	26,935
17. विश्लेषणात्मक अनुपात				
(i) भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत	20.85%	20.85%	20.85%	20.85%
(ii) पूंजी पर्याप्तता अनुपात	15.63%	19.29%	21.53%	19.29%
(iii) प्रति शेयर आय (मूल और पतला) (ईपीएस)	13.93#	14.34#	13.64#	58.81
(iv) गैर निष्पादित आस्ति अनुपात				
य) गैर-निष्पादक आस्ति की सकल राशि	70	33	220	33
र) गैर-निष्पादक आस्ति की निवल राशि	40	9	129	9
ल) सकल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.02	0.01	0.11	0.01
व) निवल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.01	0.00	0.06	0.00
(v) आस्तियों पर प्रतिफल (कर पश्चात्) (वार्षिकीकृत)	0.77%	0.90%	1.20%	1.00%
(vi) निवल मालियत	25,630	25,465	24,150	25,465
(vii) बकाया भुनाने योग्य वरीयता शेयर	-	-	-	-
(viii) पूंजी मोचन रिजर्व	-	-	-	-
(ix) डिबेंचर मोचन रिजर्व	-	-	-	-
(x) परिचालनगत मार्जिन	16.98%	24.70%	33.15%	28.43%
(xi) निवल लाभ मार्जिन	12.00%	14.00%	24.93%	18.09%
(xii) ऋण - ईक्रीटी अनुपात *	9.64	7.88	4.72	7.88
(xiii) कुल परिसंपत्तियों के लिए कुल ऋण (%) *	54.59	49.87	39.10	49.87

#अ-वार्षिकीकृत

*ऋण (जमा को छोड़कर) कुल उधार को दर्शाता है

@इसमें सीजीटीएमएसई को दिया गया ₹500 करोड़ का योगदान शामिल है

टिप्पणियाँ:

- 1) बैंक इन वित्तीय परिणामों को तैयार करने में उन्हीं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का अनुपालन कर रहा है, जैसा कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए किया गया था।
- 2) निदेशक मंडल द्वारा 31 जुलाई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त परिणाम समीक्षित किए गए हैं।
- 3) 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के आंकड़े वित्त वर्ष 2022-23 के संबंध में लेखा परीक्षित आंकड़ों और 31 दिसंबर, 2022 तक प्रकाशित वर्ष के आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं।
- 4) 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक से जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर गैर-निष्पादक आस्तियों, मानक आस्तियों तथा निवेश संबंधी मूल्यहास के लिए आवश्यक प्रावधान करने के बाद निकाले गए हैं। आयकर, आस्थगित कर तथा कर्मचारी लाभ सहित अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान, जहाँ भी अपेक्षित हैं, अनुमानित/समानुपातिक आधार पर किए गए हैं और वर्षांत में समायोजन के अधीन हैं।
- 5) 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित त्वरित प्रावधान नीति के अनुसार आईआरएसी मानदंडों के तहत निर्धारित न्यूनतम से अधिक दरों पर मानक अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान किया है। तदनुसार, बैंक 30 जून, 2023 को ₹274.45 करोड़ का अग्रिम मानक संपत्ति पर अतिरिक्त प्रावधान किया है।
- 6) कोविड-19 महामारी बैंक के परिचालन और परिसंपत्ति की गुणवत्ता को किस हद तक प्रभावित करती रहेगी, वर्तमान में चल रहे और साथ ही भविष्य के घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा।
- 7) ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर भारतीय रिजर्व बैंक के 24 सितंबर, 2021 के मास्टर निदेश के अनुरूप 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान हस्तांतरित/ अधिग्रहित किए गए ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:
30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान :
i बैंक ने असाइनमेंट के माध्यम से चूक न होने वाले किसी भी ऋण का अधिग्रहण नहीं किया है।
ii बैंक ने किसी भी गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) / अनुमत हस्तांतरणियों / अन्य हस्तांतरणियों को स्थानांतरित नहीं किया है।
iii बैंक ने किसी भी दबावग्रस्त ऋण का अधिग्रहण नहीं किया है और न ही किसी चूक / विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के ऋण को स्थानांतरित किया है।
iv बैंक ने एआरसी को हस्तांतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश नहीं किया है।
- 8) निवल अनर्जक आस्तियों के परिकलन के लिए चल प्रावधान को विचार में नहीं लिया गया है।
- 9) पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
- 10) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15 मई, 2019 के पत्र के अनुसार, अगली सूचना तक एआईएफआई के लिए आईएनडी-एसएस का क्रियान्वयन आस्थगित कर दिया गया है।
- 11) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उपर्युक्त परिणामों की सीमित समीक्षा की गई है।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(विसुब्रमणियन रमण)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

दिनांक : 31 जुलाई, 2023

स्थान : मुंबई

@SIDBIOfficial

कृपया हमारी वेबसाइट : www.sidbi.in देखें

@sidbiofficial